

तारीख हुक्म
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वकील वादी साइड बॉट पेश नहीं करना चाहे
थे। वादी की साइड बॉट की गड़ी पत्रावली वादी
एक पक्षीय बहस में दिनांक 27/11/24 को पेश
दे।

[Handwritten signature]
13/11/24

27/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित
वकील वादी की बहस को सुना गया। वकील
वादी ने वादपत्र के साथ संलग्न पंजीयन
दस्तावेजों एवं वादपत्र के अनुसार वादीगण को
खतियार घोषित करने की का आदेश जारी
किया जावे। पत्रावली का एवं संलग्न बयानों
का रजिस्टर डेकॉपी का व पंजीयन दस्तावेजों
का गहनता से परीक्षण किया गया। परीक्षण
उपरान्त वादीगण का वादपत्र को स्वीकार किया
जाना न्यायसंगत है। अतः वादीगण का वाद
पत्र को स्वीकार किया जाता है। वादपत्र के
अनुसार वादीगण को खतियार घोषित करने
का आदेश दिया जाता है। साथ वरिष्ठ नरनाथ
में दर्ज महिला संख्या - 1 का नाम दर्ज होने
का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार
डिक्री पर्याप्त भूति बेकर संलग्न पत्रावली के
निर्णय खुले न्यायालय में लिखा गया जसक
सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार डेकॉपी
नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
इंगला

ज अदालत
उपखण्ड अधिकारी
इंगला
रोशन लाल
रसम मुकदमा
वा. 643/24

तारीख
हुक्म
हुक्म य

